

## डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

### आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन अट्वाईस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण अट्वाईस राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्तियों एवं व्यय के वर्गीकरण पर आधारित है। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय को और दो भागों 'योजना' एवं 'योजनेतर' में विभाजित किया गया है। राज्य सरकारों से संस्थागत सुधारों, गारंटियों (आकस्मिक देयताएं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े केंद्र तथा राज्यवार योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के अंतर्गत राज्यवार बकाया ऋणों से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। राज्यवार बकाया केंद्रीय ऋणों से संबंधित आंकड़े संघीय वित्त लेखे से लिए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश और राज्य विकास ऋणों का परिपक्वता स्वरूप शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। परिशिष्ट III में कुल पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखा के अलावा

कुल पूंजीगत व्यय बताता है। परिशिष्ट सारणियों (समेकित), विवरणों (राज्यवार) में दी गई और इस विश्लेषण में उपयोग की गई पूंजी प्राप्तियों में सरकारी लेखे निवल आधार पर शामिल हैं जबकि सरकारी लेखे को संबंधित पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन और राष्ट्रीय औसतों में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्वाईस राज्यों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिए गए हैं। इसमें राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से प्राप्त जानकारी जोड़ी गई है। जहाँ कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहाँ आंकड़े पिछले तीन वर्षों की वार्षिक औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और 2007-08(सं.अ.) तक सीएसओ से तथा 2008-09(ब.अ.) के लिए संघीय बजट, भारत सरकार से लिए गए हैं। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात की गणना जीएसडीपी/जीडीपी के अद्यतन उपलब्ध अनुमानों पर आधारित है। आबादी से संबंधित आंकड़े भारत की जनगणना की वेबसाइट से लिए गए हैं। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

### कार्यप्रणाली

व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजी परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल रहती हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। इस प्रकार, विकास व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय के विकास घटक तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल रहते हैं। इस सामाजिक क्षेत्र व्यय में राजस्व व्यय, पूंजी परिव्यय तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा

खाद्यान्न भंडारण एवं वेयरहाउसिंग पर किया जानेवाला व्यय शामिल रहता है। पूंजी परिव्यय में विकास और विकासेतर दोनों ही प्रकार के पूंजी परिव्यय शामिल रहते हैं। इस विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परांपरागत घाटा/अधिशेष), नकद घाटा/अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि/कमी और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि/कमी के बराबर है।

### ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित निधि, जमा राशि और अग्रिम तथा आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। 2007-08 के अध्ययन में राज्य सरकारों की बकाया देयताओं की आंकड़ा

श्रृंखला केंद्र एवं राज्य सरकारों के मिश्रित वित्त तथा राजस्व लेखों, रिजर्व बैंक रिकॉर्डों, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त लेखों तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2003-04 से प्रकाशित की गयी थीं। वर्तमान अध्ययन में बकाया देयताओं के समेकन हेतु वही पद्धति अपनायी गई है जो 2007-08 के अध्ययन में दी गयी है और इसकी अनुपलब्धता के कारण 2006-07 के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के मिश्रित वित्त और राजस्व लेखों को छोड़कर उन्हीं आंकड़ा स्रोतों का उपयोग करती है।

परिशिष्ट सारणी 20 और 21 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

**नोट :** 1988-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय सैकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े रिजर्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित "राज्य सरकार के वित्त संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका" में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिजर्व बैंक की वेबसाइट ([www.rhi.org.in](http://www.rhi.org.in)) पर देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।